From,

Narendra Singh,
Divisional Forest Officer,
Hamirpur Forest Division,
Hamirpur, Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Original Application No.769 of 2019

(Vijay Kumar Dwedi Vs. State of Uttar Pradesh)

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF THE HON'BLE N.G.T. ORDER DATED 16. 10.2019 AND 05.08.2020

1. That the above O.A. was filed before this Hon'ble Tribunal with application to Hon'ble Chairman, Hon'ble National Green Tribunal dated 04.04.2019 with following prayers-

> *"..................निवेदन है कि शिकायतकर्ता विजय कुमार द्विवेदी एड्वोकेट जनपद हमीरपुर में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अवैध खनन व अवैध पटटों की जांच का याचिकाकर्ता है अभी हाल ही में मैने जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम भेड़ी खरका में किये गये अवैध खनन की कई सदस्यीय टीम ने जांच की थी एवं जिला खनिज कार्यालय के अधिकारी गणों ने लगभग सभी पट्ाधारकों के अवैध खनन करने से मना किया गया था तथा उसी समय उनका कार्य बन्द करा दिया गया था किन्तु किसी भी पट्टाधार के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसका फायदा उठाते हुए खण्ड संख्या 23/7 के पट्टाधारक मे0 पहलवान ट्रेडर्स द्वारा आज भी वन विभाग की भूमि पर अनवरत खनन किया जा रहा है जिसकी*

Scanned by CamScanner

शिकायत मैने मय कॉर्डिनेट फोटोग्राफ के साथ की थी जिससे स्पष्ट होता है कि खनन वन विभाग की जमीन पर ही हो रहा है किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी आज भी उक्त ग्राम की खदानों में 60 से 70 फीट तक खनन के गढ़ढे मौजूद हैं। इससे स्पष्ट है उक्त ग्राम में खनन माफिया द्वारा जबरजस्त तरीके से पर्यावरण को क्षति पंहुचायी गयी है एवं इस तरह का खनन आज भी जारी है। "

A copy of the true translated prayer dated 04.04.2019 is being annexed as **Annexure No. A-1.**

2. The Hon'ble National Green Tribunal on the above application passed an order dated 16.10.2019. The operative portion passed by the Hon'ble Tribunal below-

"Grievance in this application is against illegal sand mining in forest land in Village Hamirpur adversely affecting the environment.

Let the Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order, along with complaint, be sent to Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh by e-mail for compliance."

A copy of the aforesaid order dated 16.10.2019 is being annexed as **Annexure No. A-2.**

3. It is respectfully submitted that the above order passed by Hon'ble National Green Tribunal could not came into the

Scanned by CamScanner

knowledge of Divisional Forest Officer, Hamirpur. That it is very respectfully submitted that the deponent is a law abiding government officer and has profound respect for authority of this Hon'ble Tribunal and is always ready to obey the order of this Hon'ble Tribunal. If this Hon'ble Tribunal feels that any contempt has been committed by the actions of the deponent, he tenders unconditional and unqualified apology.

4. The Hon'ble National Green Tribunal passed an order dated 05.08.2020. The operative portion of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal dated 05.08.2020 is as follows-

> *"1. A report was sought from the Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh, with reference to the allegation of illegal sand mining in forest land in Village Hamirpur, adversely affecting the environment.*
>
> *2. No report has been received though more than nine months have passed and matter has been repeatedly adjourned. Before taking adverse action under Section 25 of the NGT Act, 2010 read with Section 51 of the CPC, we grant last opportunity for furnishing such report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Such action may be overseen by the PCCF (HoFF), U.P. 2*
>
> *A copy of this order be sent to the PCCF (HoFF), Lucknow, U.P and Divisional Forest Officer, Hamirpur by email for compliance."*

A copy of the aforesaid order dated 05.08.2020 is being annexed as **Annexure No. A-3.**

Scanned by CamScanner

5. That, facts of the area in question are, as under-

a) That Bheri Kharka is a revenue village in Sarila tehsil of Hamirpur district. As per the administrative set up of Forest department Bheri Kharka revenue village is near Bheri Dariya Forest Block, which is of an area of 92.44 hectares in Sarila Forest Range of Hamirpur Forest Division. In Bheri Kharka revenue village, several mining blocks for sand mining in Betwa River are demarcated and leased from time to time, by the Mining department of Hamirpur district.

b) That the Mining department of Hamirpur district vide letter no. 119/khanij- M.M.C.-tees-miscellaneous (2016-17) dated 23-06-2017 of District Magistrate, Hamirpur asked for no-objection-certificate (NOC) for sand mining in Betwa River in Bheri Kharka revenue village. Divisional Forest Officer, Hamirpur Forest Division gave NOC for mining block no. 23/7 *vide* his letter no- 526/ 33-1 dated 21-08-2017

A copy of the aforesaid NOC is being annexed as **Annexure No. A-4**.

6. That, the mining block no. 23/7 being adjacent to the Bheri Dariya Forest Block, effective protection measures like regular patrolling by frontline staff and inspection by officers of the U.P. Forest Department were ensured to check illegal mining inside the Forest Area of Bheri Dariya Forest Block, which is close to mining block no. 23/7.

Scanned by CamScanner

7. That, this is further substantiated by the satellite imageries of Bheri Dariya Forest Block from the date of issuance of the NOC till date i.e., on 14-03-2018, 05-06-2018, 06-10-2018, 16-12-2019 and 25-01-2020 as available, as it is evident that no mining was found either inside the Forest area of Bheri Dariya Forest Block or in the 100 metres periphery of Bheri Dariya Forest Block.

A copy of each of the satellite imageries of site in question dated 14-03-2018, 05-06-2018, 06-10-2018, 16-12-2019 and 25-01-2020 is being annexed as **Annexure No. A-5, 6, 7, 8 & 9** respectively.

8. That in the complaint in the mining block 23/7 in question of previously Joint Inquiries were conducted by the joint team of Revenue, Forest and Mining department of Hamirpur district and the team also visited the mining site. Inquiry report dated 05-04-2019 and 26-02-2020 envisages that there is no mining inside the Forest area of Bheri Dariya Forest Block.

A copy of the Joint Inquiry Report dated 05.04.2019 & 26.02.2020 is being annexed as **Annexure No. A-10 & A-11** respectively.

9. That in the compliance of the Hon'ble NGT order dated 05.08.2020 Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, U.P. constituted the committee under his chairmanship *vide* letter no. 342/11-C-NGT dated 14.08.2020 with following members,

Scanned by CamScanner

1. Director, Geology and Mining, U.P. ---Member
2. Director Environment, U.P. ---Member
3. Chief Conservator of Forests/Nodal Officer, Land Transfer, U.P., Lucknow ---Member
4. Chief Conservator of Forests, Court Case, U.P., Lucknow---Member
5. Chief Conservator of Forests, Bundelkhand Zone, Jhansi ---Member Secretary

to oversee the inquiry of Divisional Forest Officer, Hamirpur Forest Division done in compliance to above Hon'ble NGT orders.

A copy of the aforesaid office order dated 14.08.2020 regarding committee formation is being annexed as **Annexure No. A-12.**

10. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, U.P. came on inspection to Hamirpur on 16.08.2020 and gave directions. In continuation to Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, U.P. direction, Chief Conservator of Forests, Bundelkhand conveyed meetings on 24.08.2020 & 26.08.2020 and gave directions for examining the said issue. Divisional Forest Officer, Hamirpur inspected the site on 02.09.2020 and examined related documents and submitted his report on 02.09.2020 itself.

11. That the said committee as detailed in para-9 called the meeting on 03.09.2020 and 12.10.2020 regarding the finding of the Divisional Forest Officer, Hamirpur about

Scanned by CamScanner

illegal mining in 23/7 for Forest area of Bheri Dariya Forest Block.

That the minutes of the meeting dated 12.10.2020 convened under the chairmanship of Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, U.P. is being issued by it's Member Secretary 1222/10-case dated 12.10.2020 in which it was found that no mining was found either inside the Forest area of Bheri Dariya Forest Block or in the 100 metres periphery of Bheri Dariya Forest Block.

A copy of the minutes of the overseeing meeting dated 12.10.2020 is being annexed as **Annexure No. A-13.**

12. That in view of inquiry conducted by Divisional Forest Officer, Hamirpur Forest Division on 02.09.2020, it was found that from the lease-hold area, the distance of the nearest Forest Block i.e., Bheri Dariya Forest Block has been measured as more than 100 metres, which is in consonance with the provisions of the Government order and there is no sign of any illegal mining on the Forest area of Bheri Dariya Forest Block.

13. It is respectfully submitted that the Divisional Forest Officer, Hamirpur submitted his Report dated 02.09.2020 about illegal mining in 23/7 for Forest area of Bheri Dariya Forest Block to the committee. The opertive portion of the report is as follows-

"जिस स्थल पर वास्तव में खनन हुआ है, वह क्षेत्र वन क्षेत्र से बाहर है तथा वन भूमि की सीमा से 100 मीटर की परिधि के भी बाहर है।"

Scanned by CamScanner

A copy of the aforesaid report dated 02-09-2020 is being annexed as **Annexure No. A-14**.

14. That in the complaint in the mining block 23/7 in question previously, an Inspection was conducted by the Range Forest Officer, Sarila Forest Range of Hamirpur Forest Division and he also visited the mining site. Inspection report dated 12.09.2020 & 28.09.2020 envisages that there is no illegal mining inside the Forest area of Bheri Dariya Forest Block.

A copy of the Inspection Report dated 12.09.2020 & 28.09.2020 by the Range Forest Officer, Sarila Forest Range of Hamirpur Forest Division is being annexed as **Annexure No. A-15.**

15. That in compliance to the minutes of the meeting dated 12.10.2020, District Magistrate, Hamirpur issued an office order 1488/khanij- M.M.C.-tees-miscellaneous (2020-21) dated 05.11.2020. The operative portion of the above said office order dated 05.11.2020 is as follows-

"जनपद हमीरपुर के तहसील सरीला अन्तर्गत ग्राम भेड़ी खरका खण्ड संख्या–23/7 क्षेत्रफल–12.145 हे0 का खनन पट्टा दिनांक–08.12.2018 से दिनांक–07.12.2023 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–769/2019 विजय कुमार द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक–12.10.2020 को प्रधान, मुख्य वन संरक्षक/ विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार ग्राम भेड़ी खरका खण्ड संख्या–23/7 एवं 23/8 का क्षेत्र वन भूमि के ऊपर तथा वन सीमा से 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत ओवरलैप हो रहा है। उक्त के क्रम में खनन विभाग को निर्देशित किया गया कि वह वर्ष–2017 में खण्ड संख्या–23/7, जिसकी एन0ओ0सी0 तत्समय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर द्वारा निर्गत की गयी

Scanned by CamScanner

थी, का वह क्षेत्र जो निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर के अन्तर्गत आता है, के जी0पी0एस0 कोआडिनेट्स अंकित करते हुये खनन कार्य प्रतिबन्धित कर समस्त सम्बन्धित को संसूचित किया जायेगा। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार भेड़ी दरिया वन ब्लाक की वन सीमा के 100 मीटर की दूरी को दर्शाते हुये के0एम0एफ0 फाइल तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर, खनन विभाग को 02 दिन में उपलब्ध करायेगें। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग हमीरपुर के पत्र संख्या–815/33–1 दिनांक– 22.10.2020 एवं पत्र संख्या–900/ 33–1 दिनांक– 04.11.2020 के द्वारा भेड़ी दरिया वन ब्लाक की वन भूमि की सीमा से 100 मीटर की दूरी इंगित करते हुये मानचित्र एवं GIS Shop file *उपलब्ध कराया गया है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये के0एम0एलं फाइल के आधार पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से वन भूमि से 100 मीटर की दूरी छोड़ने के उपरान्त खण्ड संख्या–23/7 में आने वाले बिन्दुओं के कोआडिनेट्स निकलवाये गये। प्राप्त मानचित्र के अनुसार ग्राम भेड़ी खरका में स्वीकृत खण्ड संख्या–23/7 के बिन्दु–डी से बिन्दु–सी की ओर 140 मीटर तथा बिन्दु–ए से बिन्दु–बी की ओर 94 मीटर का क्षेत्र वन भूमि से 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आता है, जिसे संलग्न मानचित्र पर पीले रंग से* **ADD'A'** *के रुप में दर्शाया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक–12.10.2020 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन भूमि से 100 मीटर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में खनन कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त प्रतिबन्ध के फलस्वरुप खनन पट्टे के क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।"*

In the above said office order District Magistrate, Hamirpur prohibited mining in the mining block in question i.e., 23/7 in the area 100 metres from the Forest Land, till further order.

A copy of the aforesaid office order dated 05.11.2020 is being annexed as **Annexure No. A-16.**

16. That in view of the above mentioned facts and circumstances, it is clear in abundance that necessary

Scanned by CamScanner

17. inquiry has been conducted by the concerned officers of the inquiry team and it was found that there is no mining either inside the Forest area of Bheri Dariya Forest Block or in the 100 metres periphery of Bheri Dariya Forest Block, hence, the allegation has been found to be false and baseless; and this original application is liable to be rejected in the interest of justice.

Dated: November 12-2020

12/11/2020

(NARENDRA SINGH)
Divisional Forest Officer,
Hamirpur Forest Division,
Hamirpur

Divisional Forest Officer
Hamirpur Forest Division
Hamirpur (U.P.)

Scanned by CamScanner

Annexure No. A-1

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण (एन.जी.टी.)
नई दिल्ली।

विषय– जनपद हमीरपुर उ0प्र0 की बालू / मौरम की खदानों एवं वन विभाग की भूमि पर किये जा रहे अवैध खनन के कारण पर्यावरण की क्षति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि शिकायतकर्ता विजय कुमार द्विवेदी एडवोकेट जनपद हमीरपुर में माननयी उच्च न्यायालय के आदेश से अवैध खनन व अवैध पट्टों की जांच का याचिकाकर्ता है अभी हाल हीं में मैंने जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला के ग्राम भेड़ी खरका में किये गये अवैध खनन की कई शिकायतें उच्चाधिकारियों तक की थी (जो प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है) जिसपर लखनऊ से कई सदस्यीय टीम ने जांच की थी एवं जिला खनिज कार्यालय के अधिकारी गणों ने लगभग सभी पट्टाधारकों के अवैध खनन करने से मना किया गया था तथा उसी समय उनका कार्य बन्द करा दिया गया था किन्तु किसी भी पट्टाधार के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसका फायदा उठाते हुए खण्ड संख्या 23/7 के पट्टाधारक मे0 पहलवान ट्रेडर्स द्वारा आज भी वन विभाग की भूमि पर अनवरत खनन किया जा रहा है। जिसकी शिकायत मैंने मय कॉर्डिनेट फोटोग्राफ के साथ की थी जिससे स्पष्ट होता है कि खनन वन विभाग की जमीन पर ही हो रहा है किन्तु कोई भी कार्यवाही नही की गयी आज भी उक्त ग्राम की खदानों में 60 से 70 फीट तक खनन के गढ्ढे मौजूद है। इससे स्पष्ट है उक्त ग्राम में खनन माफिया द्वारा जबरजस्त तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुंचायी गयी है एवं इस तरह का खनन आज भी जारी है।

अतः निवेदन है कि जनपद हमीरपुर के ग्राम भेड़ी में स्वयं या किसी स्वतन्त्र टीम द्वारा जांच कराकर दोषी पट्टाधारकों की एन0ओ0सी0 निरस्त कर कठोरतम कार्यवाही के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।च

दिनांक– 08.04.2019

प्रार्थी

विजय द्विवेदी
एडवोकेट
सामाजिक कार्यकर्ता
मो0 9919052025

विजय कुमार द्विवेदी
मु0 विवेक नगर हमीरपुर
(उ0प्र0)
मो0 9919052025

प्रतिलिपि–
1. प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. जिलाधिकारी हमीरपुर।

Scanned by CamScanner

Item No. 27 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 769/2019

Vijay Kumar Dwedi Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 16.10.2019

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by post

ORDER

Grievance in this application is against illegal [illegible] mining in forest land in Village Hamirpur adversely affecting the environment.

Let the Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order along with complaint, be sent to Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh by e-mail for compliance.

List for further consideration on 29.01.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

October16, 2019
AK

Scanned by CamScanner

Item No. Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 769/2019

Vijay Kumar Dwedi Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 29.01.2020

Matter stands adjourned to : 24.03.2020

Scanned by CamScanner

Annexure No. A-3

Item No. 08 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 769/2019

Vijay Kumar Dwedi Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 05.08.2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S. P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

ORDER

1. A report was sought from the Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh, with reference to the allegation of illegal sand mining in forest land in Village Hamirpur, adversely affecting the environment.

2. No report has been received though more than nine months have passed and matter has been repeatedly adjourned. Before taking adverse action under Section 25 of the NGT Act, 2010 read with Section 51 of the CPC, we grant last opportunity for furnishing such report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Such action may be overseen by the PCCF (HoFF), U.P.

Scanned by CamScanner

A copy of this order be sent to the PCCF (HoFF), Lucknow, U.P and Divisional Forest Officer, Hamirpur by email for compliance.

List again on 24.11.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S. P. Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

August 05, 2020
Original Application No: 769/2019
AK

(15)

Scanned by CamScanner

Annexure No. A-4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1526 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, अगस्त 21 ,2017.

सेवा में,

खान अधिकारी,
हमीरपुर।

विषयः– जनपद हमीरपुर की तहसील–हमीरपुर, मौदहा, सरीला एवं राठ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में उप खनिज/बालू मोरम के खनन क्षेत्रों के पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्रों की पुष्टि/नवीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रसंख्या–119/खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध दिनाँक 23.06.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे अवगत कराना है कि प्रेषित खनन खण्डो की जाँच सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं खनिज सर्वेयर के साथ दिनाँक 18.08.2017 एवं 20.08.2017 को संयुक्त रूप से जाँच की गयी और क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरीला ने स्थलीय परीक्षण के बाद खनन खण्डों की अनापत्ति जारी करने हेतु उक्त तिथि में संस्तुति भी की है, जिन खनन खण्डों की अनापत्ति जारी नही की जा सकती उनके सम्मुख नहीं "शब्द" का प्रयोग किया गया है। जिन खनन खण्डों की अनापत्ति निर्गत की जा रही है उनके सम्मुख जारी शब्द का प्रयोग किया गया है। विवरण निम्न प्रकार हैः–शासनादेश संख्या–728 (3)/14–2–2008–65/2004/टी0सी0/iii दिनॉक 20.02.2008 एवं शासनादेश संख्या–1483 (3)/14–2–2008–65 /2004/टी0सी0/iii दिनॉक 04.06.2008 के परिपेक्ष्य में निम्न प्रकार से निम्न खनन खण्डों की शर्तानुसार अनापत्ति निर्गत की जा रही हैं।

निर्गत खनन खण्डों की अनापत्ति का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खण्ड संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	जारी/नही	पारागमन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हमीरपुर	सरीला	भेड़ी खरका	23/7	30	जारी	खनन क्षेत्र से जलालपुर कुपरा–मार्ग पर
2	—,,—	—,,—	रिरूआ बसरिया	22/1	90	नही	—
3	—,,—	—,,—	—,,—	22/2	90	नही	—
4	—,,—	—,,—	—,,—	22/3	90	नही	—
5	—,,—	—,,—	—,,—	22/4	90	नही	—
6	—,,—	—,,—	—,,—	22/5	87	नही	—
7	—,,—	—,,—	—,,—	22/6	90	नही	—
8	—,,—	—,,—	—,,—	22/7	60	नही	—
9	—,,—	—,,—	—,,—	22/8	60	नही	—
10	—,,—	—,,—	—,,—	22/9	60	जारी	खनन क्षेत्र से गोहाण्ड कालपी मार्ग पर
11	—,,—	—,,—	—,,—	22/11	30	जारी	—,,—
12	—,,—	—,,—	—,,—	22/13	90	जारी	—,,—
13	—,,—	—,,—	इछौरा जिटकरी	25/2	90	नही	—
14	—,,—	—,,—	—,,—	25/3	60	नही	—
15	—,,—	—,,—	—,,—	25/6	90	नही	—
16	—,,—	—,,—	—,,—	25/9	60	नही	—
17	—,,—	—,,—	—,,—	25/11	90	नही	—

Scanned by CamScanner

	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/12	90	नही	—
19	—,,—	—,,—	—,,—	25/17	30	नही	—
20	—,,—	—,,—	—,,—	25/18	30	नही	—
21	—,,—	—,,—	—,,—	25/19	30	नही	—
22	—,,—	—,,—	—,,—	25/20	90	नही	—
23	—,,—	—,,—	—,,—	25/21	60	नही	—
24	—,,—	—,,—	—,,—	25/22	60	नही	—
25	—,,—	—,,—	—,,—	25/24	90	नही	—
26	—,,—	—,,—	—,,—	25/25	60	नही	—
27	—,,—	—,,—	—,,—	25/26	60	नही	—
28	—,,—	—,,—	—,,—	25/27	30	नही	—
29	—,,—	—,,—	जिटकरी दरिया	1, 2 व 3	17	नही	—
30	—,,—	—,,—	इस्लामपुर	7	50	नही	—
31	—,,—	—,,—	बिरहट	8	20	नही	—
32	—,,—	—,,—	बन्धौली	1	16	नही	—
33	—,,—	—,,—	बड़ेरा खालसा	9	60	नही	—
34	—,,—	—,,—	चिकासी	24/1	60	नही	—
35	—,,—	—,,—	—,,—	24/2	30	नही	—
36	—,,—	—,,—	—,,—	24/3	90	नही	—
37	—,,—	—,,—	—,,—	24/7	30	नही	—
38	—,,—	—,,—	—,,—	24/8	30	नही	—
39	—,,—	—,,—	—,,—	24/9	30	नही	—
40	—,,—	—,,—	—,,—	24/10	90	नही	—
41	—,,—	—,,—	—,,—	24/11	90	नही	—
42	—,,—	—,,—	—,,—	24/12	90	नही	—
43	—,,—	—,,—	—,,—	24/13	90	नही	—
44	—,,—	—,,—	—,,—	24/15	90	जारी	—
45	—,,—	—,,—	—,,—	24/17	90	जारी	—
46	—,,—	—,,—	धौहल खुर्द	1	30	नही	—
47	—,,—	—,,—	चण्डौत	597, 596, 625, 522 एवं 605	8.50	नही	—

उपरोक्त खनन खण्डों की अनापत्ति निम्न शर्तो के अनुसार निर्गत की जा रही है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित विवरण के अनुसार दिये गये क्षेत्रफल व गाटाओं/खनन खण्डों के लिए हैं। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन हेतु पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत न किया जाय जिसके बिरूद्ध पूर्व में वन अपराध दर्ज हो, या जिसका अपराधिक इतिहास हो। इसकी पुष्टि वन विभाग से भी की जाये। स्वीकृत खनन क्षेत्र में खनन कार्य करते हुये स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत रहने दिया जाय उनका पातन कतई वर्जित है।
3. खनन स्थल के आस–पास स्थिति वृक्षों तथा वन्य जीवों को कोई हानि नही पहुँचाई जायेगी, और न उनके प्रवासी स्थल को नष्ट किया जायेगा।
4. यदि खनन स्थल नदी क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है तब नदी का बहाव परिवर्तित होने के कारण परिवर्तित स्थल से खनन हेतु पुनः अनापत्ति ली जायेगी।

Scanned by CamScanner

उ0प्र0 प्रदेश इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 यथा संशोधित 2004 एवं अन्य संशोधित के अनुसार अभिवहन शुल्क सम्बन्धित पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा। बिना बैरियर से जॉच कराये कोई भी वन उपज अभिवहन नही कियां जायेगा।

6. यह सुनिश्चित किया जाय कि खनन पट्टा धारक किसी भी तरह का षडयंत्र, वन सम्पदा को क्षति पहुँचाने के लिए नही किया जायेगा और न वन कर्मचारी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला जायेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन सम्पदा को क्षति पहुँचे।

7. वन उत्पाद का अभिवहन जिस मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है, उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय। प्रथमतः यह सुनिश्चित किया जाय कि वन उत्पाद वन भूमि से होकर नही गुजरे परन्तु विकल्प न होने पर वन मार्ग के उपयोग की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही अनापत्ति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

8. खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जा रहा है। उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम 01 एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार/छायादार वृक्षों का रोपण, सिंचाई एवं फैसिंग के साथ अपने निजी स्रोतों से करेंगे। एक एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टा की अनापत्ति के मामलें में प्रति एकड़ 200 वृक्ष उपरोक्तानुसार लगाया जाना होगा। एक एकड़ से अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे जो पूर्णांक में नही होगा।

9. भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं संशोधित अधिनियम 2000 के विभिन्न प्राविधानों का उल्लघंन नही किया जायेगा।

10. पर्यावरण सुरक्षा सम्वन्धी सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

11. शासनादेशानुसार यदि 100 मीटर की परिधि में वन स्वरूप/वन सीमा के अन्तर्गत खनन कार्य किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का होगा तथा सम्बन्धित परमीशन/ पट्टा/खण्डों को निरस्त करने की संस्तुति की जायेगी।

12. यदि किसी से वन क्षेत्र या वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

13. उक्त खनन कार्य के फलस्वरूप गोडा वर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया के केस में परिभाषित वन क्षेत्र में यदि कोई क्षति पहुँचाई जाती है, तो इसके लिए राजस्व विभाग उत्तरदायी होगा।

14. यदि वन भूमि में खनिज सम्पदा बिना अनुमति के एकत्रित की जाती है तो वन अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण माना जायेगा और वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही वॉछित होगी और सामग्री जब्त कर ली जायेगी।

15. खनिज पट्टा देने पर उसकी चौहदी में सीमा स्तम्भ अवश्य लगाये जाये, जिससे सीमा स्पष्ट बनी रहे।

16. जिला प्रशासन एवं खनन विभाग भी अपनी तरफ से यह सुनिश्चित करेंगा कि पट्टा धारक द्वारा सभी शर्तो एवं अधिनियम में दिये गये प्राविधानों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. किसी अन्य जनपद/वन प्रभाग का क्षेत्र वन भूमि यदि 100 मीटर की परिधि में पड़ती है, तो यह वन प्रभाग उत्तरदायी नही होगा क्योंकि अन्य जनपदों के वन भूमि सम्यन्धी अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। इसलिये पट्टा धारक/अनुबन्ध पत्र जारी करते समय इसकी जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा अवश्य कर ली जाय।

Scanned by CamScanner

18. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हमीरपुर, सुमेरपुर, सरीला एवं मौदहा रिपोर्ट के अनुसार निकलने का रास्ता टोपोग्राफी भू:मानचित्र के अनुसार वन भूमि को छोड़ते हुये, बालू/मौरंम भरे हुये वाहन गुजरगें।

19. किसी भी पट्टा धारक को जब कब्जा दिया जाय तो मौके पर वन विभाग को सूचित किया जाय तथ पत्थर गड्डी भी वन कर्मियों की उपस्थिति में की जाय।

भवदीय,

(एस0डी0 पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या— 526 अ/समदिनॉकित।

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रसंख्या—108/16—33 (खनन) दिनॉक 04.08.2017 के अनुपालन में इस आशय से प्रेषित है कि इस वन प्रभाग द्वारा 186 खनन खण्डों निस्तारण कर दिया गया है। 06 शेष खनन खण्ड खनन विभाग के सर्वेयर के व्यस्तता के कारण संयुक्त निरीक्षण हेतु लम्बित है।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन झॉसी को उनके पत्रसंख्या—427/33—1/दिनॉक 04.08.2017 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त बॉदा को उनके पत्रसंख्या—60/33—1/दिनॉक 09.08.2017 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिलाधिकारी हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरीला को उनकी संस्तुति दिनॉक 18.08.2017 एवं दिनॉक 20.08.2017 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0डी0 पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या-728(3)/14-2008-65/2004-टी0सी0-III दिनांक-20.02.2008 को देखें।

बिन्दु संख्या-01 से 05 तक जिलाधिकारी एवं बिन्दु संख्या-06 से 09 तक प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित संस्तुति/आख्या-

1. खनन पट्टा/अनुज्ञा स्वीकृति करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव- **-पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र**
   (क) इस प्रस्ताव में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने वाले भूमि का प्रकार (यथा-ग्राम समाज/राजकीय भूमि/निजी या अन्य श्रेणी- **-ग्राम मेड़ी खरका/राजकीय भूमि**
   (ख) गाटा की संख्या- **खण्ड संख्या-23/7 रकबा-30 एकड,**

2. राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त सर्वेक्षण आख्या -
3. पट्टा किस प्रयोजन हेतु दिया जाना प्रस्तावित है, की संस्तुति-
   (क) बालू, मौरम, गिट्टी, पत्थर या अन्य कोई पट्टा की स्पष्ट संस्तुति सहित - **मौरम**
4. खनन हेतु अनापत्ति दिये जाने पर टिप्पणी-
   (क) खनन हेतु अनापत्ति दिये जाने पर वनावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव- **-प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है।**
   (ख) वृक्षावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव- **-प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है।**
5. प्रस्तावित खनन स्थल से अनुमानित उत्पादन का आकलन कर आख्या- -

हस्ताक्षर

6. प्रश्नगत भूमि के वन भूमि दूरी का स्पष्ट उल्लेख......100 मी० से अधिक......
7. वन उत्पाद का अभिवहन जिस मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है का स्पष्ट उल्लेख-
   (क) क्या वन भूमि/वन मार्ग से अभिवहन होगा ?......नहीं......
   (ख) यदि हॉ तो किस वन से/वन मार्ग से......
   (ग) यदि नही तो कहॉ से......खनन क्षेत्र से ग्राम ... ऊपरा मार्ग से होगा......
   (घ) क्या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगी ?......×......
   (ड) क्या प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सकता है ?......×......

क्रमशः पेज-2 पर

Scanned by CamScanner

अनापत्ति (NOC) जारी की जा सकती है।

8. खनन हेतु अनापत्ति दिये जाने पर वन सम्पदा/वन जीवों को हानि-

(क) वन सम्पदा को हानि.................X.......... नहीं

(ख) वन्य जीव पर दुष्प्रभाव.................X.......... नहीं

9. अनापत्ति हेतु स्पष्ट संस्तुत, समस्त अभिलेखों सहित शासन को प्रेषित-

(क) सम्बन्धित संलग्नक अभिलेखार्थ...... खण्ड सं० 2317 क्षेत्र 20 एकड़ प्र० मानचित्र के आधार पर 100 मीटर की परिधि से बाहर है लेकिन मौके पर ग्राम क्षेत्र है इसलिए प्र० मानचित्र को आधार मानते हुए अनापत्ति जारी किए जाने की संस्तुति की जाती है। (R. D. Samba)

(ख) प्रभागीय वनाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति..

....

....

....

....

(.........) हमीरपुर

2317

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर

वन संरक्षण की संस्तुति-

शासन द्वारा अनुमोदन

406

Scanned by CamScanner

Hamirpur - Range

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

संख्या- 113 /खनिज-एम0एम0सी-तीस-विविध (2016-17) दिनांक 23 जून, 2017

विषय- जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर, मौदहा, सरीला एवं राठ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में उपखनिज बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों के पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों की पुष्टि/नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-4690/33-1 दिनांक, हमीरपुर 03.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा भू-मानचित्र उपलब्ध नही कराये गये और न ही इस सम्बन्ध में शासनादेश प्रस्ताव बनाकर ही प्रस्तुत किया गया है। मानचित्र व शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव भेजे जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद हमीरपुर की तहसील सदर, मौदहा, राठ एवं सरीला में रिक्त भूखण्डों का टोपो मानचित्र व शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा हैं उक्त को दृष्टिगत रखते हुये खनन क्षेत्रों की वनापत्ति प्रमाण पत्र की पुष्टि/नवीन वनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रिक्त खनन क्षेत्रों का तहसीलवार विवरण निम्नवत है :-

हमीरपुर

क्र0सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम	खण्ड	रकबा
1.	हमीरपुर	हमीरपुर	रमेड़ी डाड़ा	11/2	68 एकड़
2.	हमीरपुर	हमीरपुर	रमेड़ी डाड़ा	11/4	43 एकड़
3.	हमीरपुर	हमीरपुर	रमेड़ी डाड़ा	12	30 एकड़
4.	हमीरपुर	हमीरपुर	शंकरीपीपर	13	60 एकड़
5.	हमीरपुर	हमीरपुर	शंकरीपीपर	14/3	50 एकड़
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	कलौलीतीर	16/3	40 एकड़
7.	हमीरपुर	हमीरपुर	कनौटा	1/1	50 एकड़
8.	हमीरपुर	हमीरपुर	कनौटा	1/2	50 एकड़
9.	हमीरपुर	हमीरपुर	कनौटा	1/3	50 एकड़
10	हमीरपुर	हमीरपुर	कनौटा	2/1	45 एकड़
11.	हमीरपुर	हमीरपुर	कनौटा	2/2	45 एकड़
12.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	4/1	45 एकड़
13.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	4/2	45 एकड़
14.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	3/1	45 एकड़
15.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	3/2	45 एकड़
16.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	3/3	40 एकड़
17.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	3/4	40 एकड़
18.	हमीरपुर	हमीरपुर	गिमुहा	3/5	40 एकड़
19.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	5/1	50 एकड़
20.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	5/2	50 एकड़

526

Scanned by CamScanner

	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	5/3	50 एकड़
22.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	5/4	50 एकड़
23.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	5/5	40 एकड़
24.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	5/6	48 एकड़
25.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	6/1	28 एकड़
26.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	6/2	28 एकड़
27.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	6/3	90 एकड़
28.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	6/4	90 एकड़
29.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	7/1	54 एकड़
30.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	7/2	54 एकड़
31.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	8/1	30 एकड़
32.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	8/2	30 एकड़
33.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	8/3	80 एकड़
34.	हमीरपुर	हमीरपुर	नैठी	8/4	96 एकड़
35.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/1	90 एकड़
36.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/2	90 एकड़
37.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/3	90 एकड़
38.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/4	90 एकड़
39.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/5	60 एकड़
40.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/6	60 एकड़
41.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/17	50 एकड़
42.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/18	50 एकड़
43.	हमीरपुर	हमीरपुर	सहुरापुर	18/19	50 एकड़
44.	हमीरपुर	हमीरपुर	कण्डौर	9/1	76 एकड़
45.	हमीरपुर	हमीरपुर	कण्डौर	9/2	72 एकड़
46.	हमीरपुर	हमीरपुर	कण्डौर	9/3	76 एकड़
47.	हमीरपुर	हमीरपुर	कण्डौर	9/4	72 एकड़
48.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/1	90 एकड़
49.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/2	90 एकड़
50.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/3	90 एकड़
51.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/4	90 एकड़
52.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/5	90 एकड़
53.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/6	90 एकड़
54.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/19	30 एकड़
55.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/20	75 एकड़
56.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/21	78 एकड़
57.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/22	90 एकड़
58.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/29	30 एकड़
59.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/30	30 एकड़
60.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/31	50 एकड़

Scanned by CamScanner

61.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/32	50 एकड़
62	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/33	50 एकड़
63.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	10/36	30 एकड़
64.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	23/26	60 एकड़
65	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	23/27	60 एकड़
66.	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	23/28	30 एकड़
67	हमीरपुर	हमीरपुर	बेरी	23/30	30 एकड़

मौदहा

क्र0सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम	खण्ड	रकबा
68.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/1	30 एकड़
69	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/2	30 एकड़
70.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/3	30 एकड़
71.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/4	73 एकड़
72	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/5	90 एकड़
73.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/6	90 एकड़
74.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	19/13	30 एकड़
75.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/1	30 एकड़
76.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/2	30 एकड़
77.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/3	30 एकड़
78.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/4	82 एकड़
79.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/5	90 एकड़
80.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/6	60 एकड़
81.	हमीरपुर	मौदहा	टीकापुर	20/7	60 एकड़
82.	हमीरपुर	मौदहा	भुलसी	30/1	90 एकड़
83.	हमीरपुर	मौदहा	भुलसी	30/2	90 एकड़
84.	हमीरपुर	मौदहा	भुलसी	30/3	90 एकड़
85.	हमीरपुर	मौदहा	भुलसी	30/10	50 एकड़
86.	हमीरपुर	मौदहा	भुलसी	30/11	50 एकड़
87.	हमीरपुर	मौदहा	बक्छा खादर	29/1	30 एकड़

सरीला

क्र0सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम	खण्ड	रकबा
88.	हमीरपुर	सरीला	भेड़ी खरका	23/7	30 एकड़
89.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/1	90 एकड़
90.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/2	90 एकड़
91.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/3	90 एकड़
92.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/4	90 एकड़
93.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/5	87 एकड़
94.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/6	90 एकड़

52

Scanned by CamScanner

95.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/7	60 एकड़
96	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/8	60 एकड़
97	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/9	60 एकड़
98.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/11	30 एकड़
99.	हमीरपुर	सरीला	रिरुआ बसरिया	22/13	90 एकड़
100.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/2	90 एकड़
101	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/3	60 एकड़
102	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/6	90 एकड़
103	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/9	60 एकड़
104	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/11	90 एकड़
105	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/12	90 एकड़
106.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/17	30 एकड़
107.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/18	30 एकड़
108	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/19	30 एकड़
109.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/20	90 एकड़
110.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/21	60 एकड़
111.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/22	60 एकड़
112.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/24	90 एकड़
113.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/25	60 एकड़
114.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/26	60 एकड़
115.	हमीरपुर	सरीला	इछौरा जिटकरी	25/27	30 एकड़
116.	हमीरपुर	सरीला	जिटकरी दरिया	1, 2, 3	17 एकड़
117.	हमीरपुर	सरीला	इस्लामपुर	7	50 एकड़
118.	हमीरपुर	सरीला	बिरहट	8	20 एकड़
119.	हमीरपुर	सरीला	बन्धौली	1	16 एकड़
120.	हमीरपुर	सरीला	बडेरा खालसा	9	60 एकड़
121.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/1	60 एकड़
122.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/2	30 एकड़
123.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/3	90 एकड़
124.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/7	30 एकड़
125.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/8	30 एकड़
126.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/9	30 एकड़
127.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/10	90 एकड़
128	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/11	90 एकड़
129.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/12	90 एकड़
130.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/13	90 एकड़
131.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/15	90 एकड़
132.	हमीरपुर	सरीला	चिकासी	24/17	90 एकड़
133.	हमीरपुर	सरीला	चन्दवारी धुरौली	26/1	60 एकड़
134.	हमीरपुर	सरीला	चंदवारी धुरौली	26/2	60 एकड़

52

Scanned by CamScanner

135.	हमीरपुर	सरीला	चंदवारी धुरौली	26/3	60 एकड़
136.	हमीरपुर	सरीला	चंदवारी धुरौली	26/4	90 एकड़
137.	हमीरपुर	सरीला	चन्दवारी धुरौली	26/5	90 एकड़
138.	हमीरपुर	सरीला	चन्दवारी धुरौली	26/6	90 एकड़
139.	हमीरपुर	सरीला	चन्दवारी धुरौली	26/7	90 एकड़
140.	हमीरपुर	सरीला	चन्दवारी धुरौली	26/8	90 एकड़
141	हमीरपुर	सरीला	धौहल खुर्द	1	30 एकड़
142.	हमीरपुर	सरीला	चण्डीत	597, 596, 625, 522 व 605	8.50 एकड़

राठ

क्र0सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम	खण्ड	रकबा
143.	हमीरपुर	राठ	जिगनी	1	50 एकड़
144.	हमीरपुर	राठ	जिगनी	2	64 एकड़
145.	हमीरपुर	राठ	जिगनी	3	50 एकड़
146.	हमीरपुर	राठ	जिगनी	4	40 एकड़
147.	हमीरपुर	राठ	टोलाखगारन	5	50 एकड़
148.	हमीरपुर	राठ	टोला खगारन	6	43 एकड़

अतः जनपद की तहसील हमीरपुर, मौदहा, सरीला एवं राठ के अन्तर्गत आने वाले खनन क्षेत्रों की पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की पुष्टि/नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। जिससे ई-टेण्डर/निविदा प्रणाली के माध्यम से परिहार पर उठाने हेतु समयान्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।
संलग्नक- टोपो मानचित्र एवं शासनादेशानुसार प्रस्ताव।

(डा0 मन्नान अख्तर)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

कार्यालय खनि अधिकारी हमीरपुर
पत्रांक 79 /13अ/ दिनांक 16 जुलाई 2017
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वनाधिकारी हमीरपुर, सुमेरपुर, मौदहा को [illegible] पूर्व में [illegible] [illegible] के क्रम में [illegible] अनापत्तियों के सम्बन्ध में [illegible] जिलाधिकारी हमीरपुर [illegible] प्राप्त होगये हैं जिनका स्थलीय परीक्षण कर अनापत्ति [illegible] सुनिश्चित कर तथा इस कार्यालय के पत्रांक 4539/33/दिनांक 19-5-2017 के खनन खण्डों [illegible] में नये खनन खण्ड भी [illegible] हैं नये खनन खण्डों का भी स्थलीय परीक्षण कर अनापत्ति हेतु [illegible] करना सुनिश्चित करें [illegible] अपेक्षित [illegible]

खनि अधिकारी
हमीरपुर

530

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

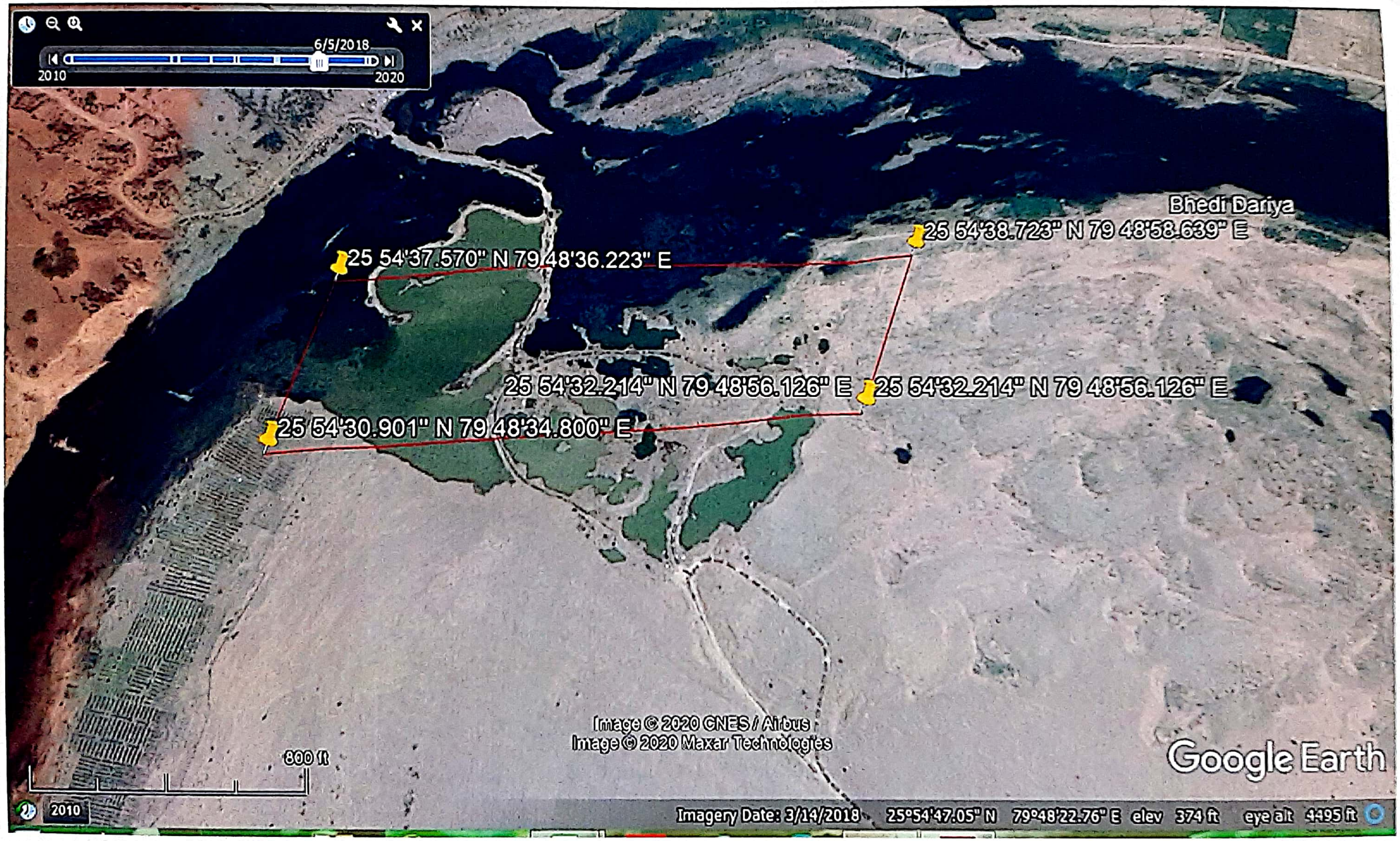

Scanned by CamScanner

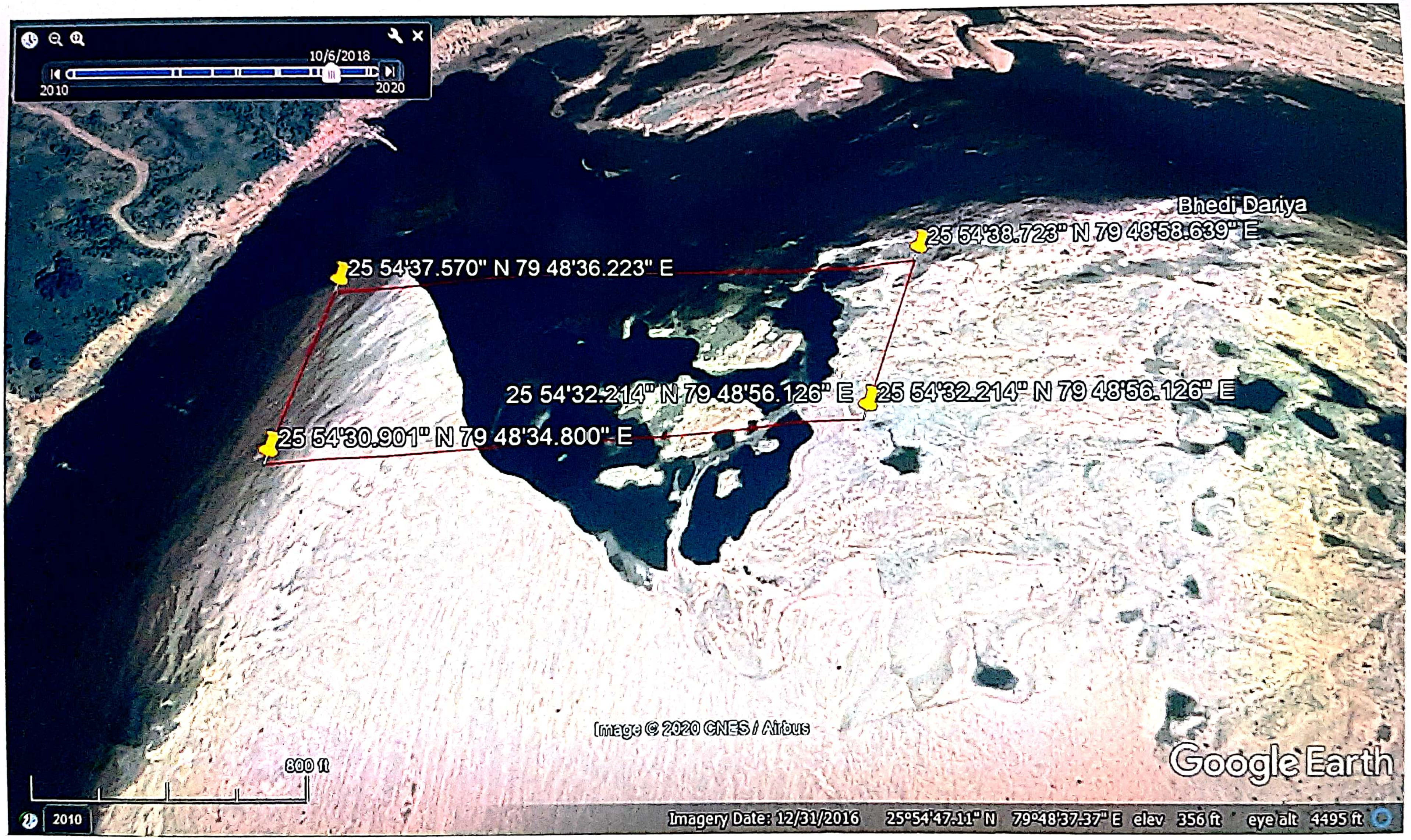

Scanned by CamScanner

Anx. No. A-8

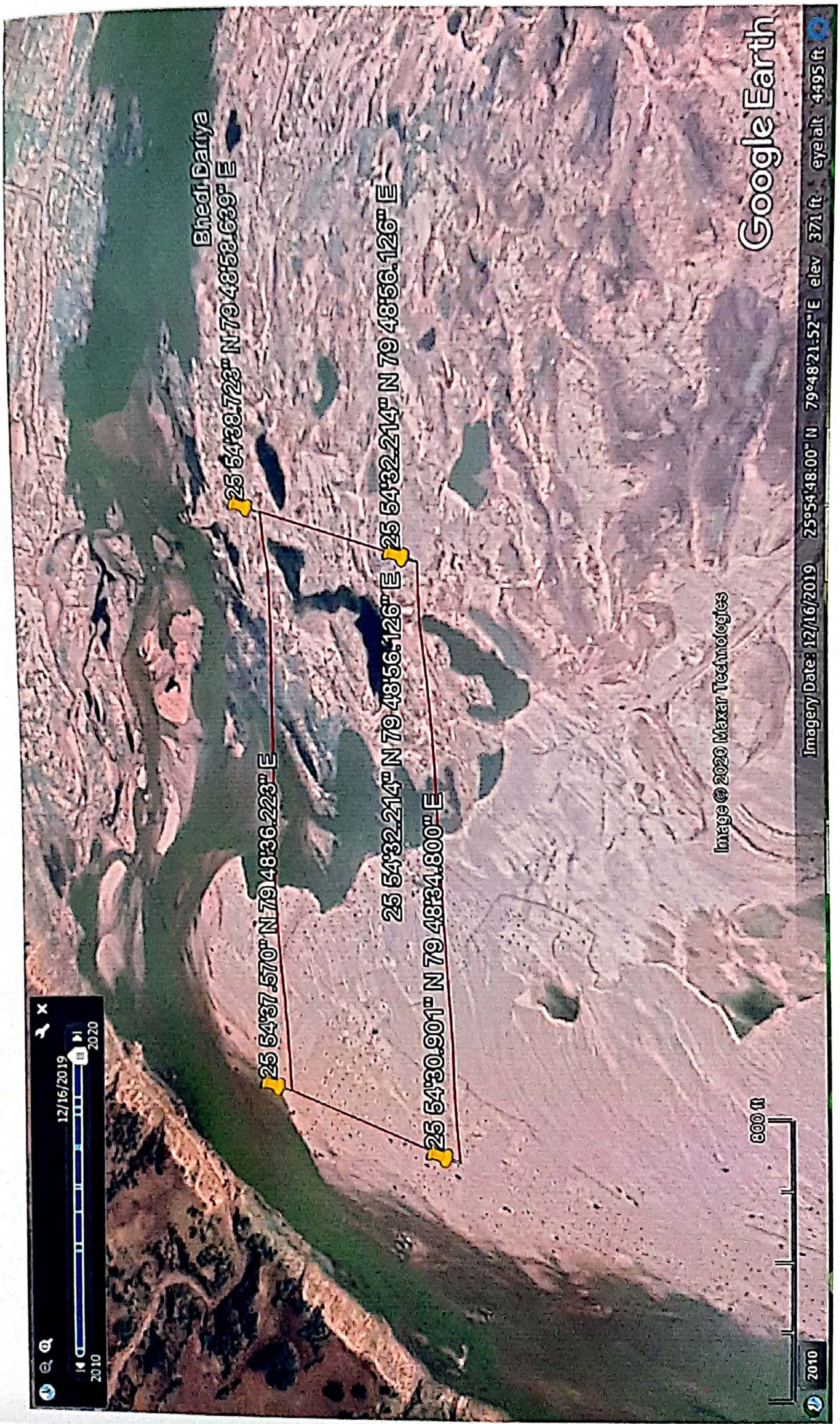

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

संयुक्त सीमांकन मौजा–भेड़ी दरिया

जिलाधिकारी, हमीरपुर के पत्रसंख्या–1637 / खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2018–19) दिनांक 29.03.2019 के अनुपालन में तहसील–सरीला के ग्राम–भेड़ीखरका के वन भूमि में अनवरत हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में जॉच की गयी तो पाया गया कि मुख्य विवाद भेड़ी दरिया के गाटा संख्या–63 से सम्बन्धित है क्योंकि भेड़ी दरिया के गाटा संख्या–63 में नदी गॉव समाज और वन विभाग की भूमि भी 54.18 एकड़ है, जिसमें वन विभाग की भूमि से भिन्न खनन खण्ड भी स्थापित है। वन विभाग के नजदीक खनन खण्ड संख्या–23 / 7 है, जिसकी शिकायत की गयी है।

मौके में स्थापित बहुत पुराना सीमा स्तम्भ जो गाटा संख्या–61 के उत्तर–पूर्व कोने पर स्थापित है और यह भी जॉच की गयी कि वन विभाग की जो भी भूमि है उस भूमि पर वन विभाग काबिज दखल है, उक्त रकबे के अतिरिक्त 63 नम्बर में वन विभाग की और कोई भूमि नही है। 61 नम्बर के उत्तर–पूरब कोने पर स्थापित सीमा स्तम्भ से 338^{0} पर उत्तर–पूरब की ओर 15.20 जरीब नापा गया तो पाया गया कि 10 जरीब एवं 5.20 जरीब पर सीमा स्तम्भ पूर्व से ही वन विभाग द्वारा स्थातिप किये गये थे। इस तरह से और रकबे की नाप जोख करने पर वन विभाग का रकबा सही पाया गया। पट्टा धारक अब भी वनसीमा से 100 मी0 की अधिक दूरी पर है और वन भूमि पर किसी तरह का कोई अवैध खनन नही पाया गया और न ही कोई कर्मचारी / अधिकारी इस खनन कार्य में संलिप्त है।

(संजय शर्मा) उप प्रभागीय वनाधिकरी हमीरपुर।	( ) खान अधिकारी हमीरपुर।	( ) राजस्व निरीक्षक हमीरपुर।	लेखपाल मौजा–भेड़ी दरिया	( ) खान निरीक्षक हमीरपुर।

(प्रकाश श्रीवास्तव) खान सर्वेयर हमीरपुर।	(राजेन्द्र कुमार अहिरवार) मानचित्रकार / सर्वेयर हमीरपुर।	(सुनीला भारद्वाज) क्षेत्रीय वन अधिकारी सरीला–रेंज	(ऋषभ मिश्रा) वन दरोगा। सरीला–रेंज।

05.04.19
नायब तहसीलदार
सरीला

(लाखनसिंह)
वन रक्षक
सरीला-रेन्ज

Scanned by CamScanner

संयुक्त जांच आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर के पत्र संख्या–405/जे0ए0–बीस–विविध (2019–20) दिनांक–18.02.2020 के साथ संलगन जिसमें रामबिहारी पुत्र करन निवासी कैथा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर द्वारा प्रमुख सचिव खनिज उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक–04.11.2019 में किये गये शिकायत की संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन दरोगा और राठ क्षेत्र के रेंजर, राजस्व निरीक्षक जलालपुर, लेखपाल भेड़ी डांडा, सर्वेक्षक खनिज हमीरपुर व खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा दिनांक–26.02.2020 को किया गया।

तहसील सरीला हमीरपुर के ग्राम भेडी खरका में मे0 पहलवान ट्रेडर्स के पक्ष में स्वीकृत उपखनिज बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्र खण्ड संख्या–23/7 का मौके पर पूर्व में सीमाकंन से प्राप्त कोआर्डिनेट के सहायता से पट्टा क्षेत्र का 04 सीमा स्तम्भ लगवाये गये। तत् पश्चात् पूर्व में दिनांक–05.04.2019 को संयुक्त रूप से किये गये ग्राम भेड़ी खरका में वन सीमा के निर्धारण के समय सीमा रेखा पर प्राप्त बिन्दुओं की कोआर्डिनेट से सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। जिनके कोआर्डिनेट निम्नवत है:–

बिन्दु सं0	अक्षांतर	देशान्तर
1	25°53′58.1″N	79°48′52.0″E
2	25°53′59.9″N	79°48′51.3″E
3	25°54′01.8″N	79°48′50.5″E
4	25°54′05.5″N	79°48′49.00″E
5	25°54′07.4″N	79°48′48.4″E
6	25°54′04.9″N	79°48′44.1″E
7	25°54′09.3″N	79°48′39.1″E
8	25°54′14.4″N	79°48′39.1″E
9	25°54′16.1″N	79°48′32.9″E
10	25°54′21.8″N	79°48′33.4″E
11	25°54′19.9″N	79°48′32.9″E
12	25°54′28.0″N	79°48′35.2″E

वन सीमा के निर्धारण के पश्चात् यह देखा गया कि खण्ड संख्या–23/7 के सीमा बिन्दु D की दूरी वन सीमा के सबसे नजदीक बिन्दु संख्या–12 से 106 मीटर की दूरी पर स्थित है। जांच के समय खण्ड संख्या–23/7 के पट्टेधारक द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर ही खनन कार्य किया जा रहा था।

शिकायती पत्र में उल्लिखित खण्ड संख्या–23/20 वर्तमान समय में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में निरस्त चल रहा है। जांच के समय मौके पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। खण्ड संख्या–23/19 में दिनांक–25.02.2020 को उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, राजस्व टीम, खान अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गयी। जाच में खनन कार्य पाये गये अनियमितताओं के विरूद्ध थाना जलालपुर में खान निरीक्षक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की गयी है। खण्ड संख्या–23/13 व खण्ड संख्या–23/12 वर्तमान मे पट्टेधारक द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। साथ ही इन दोनों क्षेत्रों में

Scanned by CamScanner

(159)

जांच के समय कोई अवैध खनन कार्य होना नहीं पाया गया है। खण्ड संख्या–23/7 द्वारा नदी के अन्दर खनन कार्य नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण वन सम्पदा व जलीय पौधे व जीव जन्तुओं आदि का विनाश किये जाने की शिकायत निराधार है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

लेखपाल भेड़ी डांडा सरीला, हमीरपुर	राजस्व निरीक्षक जलालपुर हमीरपुर	वन दरोगा जलालपुर, हमीरपुर	वन रेंजर राठ क्षेत्र हमीरपुर
सर्वेक्षक खनिज हमीरपुर	खान निरीक्षक हमीरपुर	उपजिलाधिकारी सरीला, हमीरपुर	

Scanned by CamScanner

Annexure No. A-12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–39-2/11–सी–एन0जी0टी0, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 14.,2020

आदेश

ओ0ए0 संख्या–769/2019 श्री विजय कुमार द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.08.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) को निम्न प्रकार से आदेश पारित किये गये हैः–

1. A report was sought from the Divisional Forest Officer, Hamirpur, Uttar Pradesh, with reference to the allegation of illegal sand mining in forest land in village Hamirpur, adversely affecting the environment.
2. No report has been received though more than nine months have passed and matter has been repeatedly adjourned. Before taking adverse action under Section 25 of the NGT Act, 2010 read with Section 51 of the CPC, we grant last opportunity for furnishing such report by e-mail as judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF. Such action may be overseen by the PCCF (HoFF), U.P.

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 24.11.2020 नियत है। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2020 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से पर्यवेक्षण किये जाने हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता हैः–

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–	अध्यक्ष
2.	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/नामित प्रतिनिधि–	सदस्य
3.	निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/नामित प्रतिनिधि–	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–	सदस्य
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–	सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झाँसी–	सदस्य सचिव

समिति के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से ओ0ए0 संख्या–769/2019 से सम्बन्धित शिकायत में प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी आख्या सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश से आच्छादित है, अतः दिनांक 15.09.2020 तक विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समय–समय पर बैठक की तिथि निर्धारित कराकर बैठक आहूत करायेंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

आर0 के0 गर्ग 14/8/20
(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया किसी वरिष्ठ अधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः—निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया किसी वरिष्ठ अधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झाँसी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रा०कु० गर्ग 14/8/20

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०, लखनऊ।

O/C

Scanned by CamScanner

Annexure No. A-13

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 12.10.2020 को अपरान्ह 3.30 बजे वन मुख्यालय स्थित पारिजात कक्ष में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन न0–769/2019 विजय कुमार द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12.10.2020 को अपरान्ह 3.30 बजे वन मुख्यालय स्थित पारिजात कक्ष में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन न0–769/2019 विजय कुमार द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिभाग करने अधिकारियों की उपस्थिति संलग्न है। सदस्य सचिव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:–

1. दिनांक 03.09.2020 को आयोजित बैठक के अनुक्रम में खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा 29.09.2020 को सर्वे ऑफ इण्डिया के शीट न0 G44N13(1:50000 के स्केल तथा 1:15840 के स्केल) पर मानचित्र उपलब्ध कराया गया। उपरोक्तानुसार प्राप्त मानत्रित का मिलान करने पर भेड़ीखरका खनन खण्ड संख्या 23/7 एवं 23/8 का क्षेत्र वन भूमि के ऊपर तथा वन सीमा से 100 मी0 की दूरी के अन्तर्गत ओवरलैप हो रहा है। उक्त के कम में खनन विभाग को निर्देशित किया गया कि वह वर्ष 2017 में खनन खण्ड संख्या 23/7 जिसकी एन0ओ0सी0 तत्समय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर द्वारा निर्गत की गयी थी, उक्त के कम में खनन विभाग द्वारा प्रश्नगत खनन खण्ड संख्या 23/7 का वह क्षेत्र जो निकटतम वन क्षेत्र की सीमा के 100 मी0 के अन्तर्गत आता है, के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट अंकित करते हुये खनन कार्य प्रतिबन्धित कर समस्त संबंधित को संसूचित किया जोयगा।
2. उपरोक्त कार्य हेतु भेडी दरिया वन ब्लाक की वन सीमा के 100 मी0 दूरी को दर्शाते हुये के0एम0एल0 फाईल तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर खनन विभाग को 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे।
3. भेडी खरका खनन खण्ड सं0 23/7 का माईनिंग प्लान में वन सीमा से 100 मी0 दूरी को खनन कार्य से पृथक रखते हुये जिस भाग में खनन अनुमन्य किया जायेगा उसके जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट दर्शाते हुये संशोधित माईनिंग प्लान तैयार कर उसकी एक अनुमोदित प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर को भी उपलब्ध करायेंगे। उपरोक्तानुसार खनन खण्ड संख्या 23/8 की भी कार्यवाही कर खनन विभाग अवगत करायेंगे।
4. खनन विभाग द्वाराऐसे जो भी खनन खण्ड वन सीमा से 100 मी0 की दूरी के अन्तर्गत आने के कारण प्रभावित हो रहे है उनके लिये एक सामान्य निर्देश जारी कर निर्गत एन0ओ0सी0 के अन्तर्गत वन सीमा के 100 मी0 के अन्तर्गत खनन कार्य प्रतिबन्धित करेंगे।

Scanned by CamScanner

5. खनन विभाग के प्रतिनिधि एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर ने अवगत कराया कि भेडी दरिया वन ब्लाक के वन क्षेत्र एवं इसकी वन सीमा से 100 मी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई भी खनन कार्य विगत 03 वर्षो में नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर वन विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संसूचित किया जायेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

12/x/20

(पी0 पी0 सिंह)
सदस्य सचिव/मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।

पत्रांक– 1222 /10-केस दिनांकःझांसीःअक्टूबर 12, ,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि बैठक का कार्यवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्ष/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, नीति विश्लेषण एवं समन्वय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
6. श्री मेराज उद्दीन, सदस्य, एस0ई0ए0सी0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. श्री जय प्रकाश, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 मुख्यालय, लखनऊ।
8. श्री अनिल कुमार शर्मा, मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 मुख्यालय, लखनऊ।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
10. खान अधिकारी, हमीरपुर।

(पी0 पी0 सिंह)
सदस्य सचिव/मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।

Scanned by CamScanner

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 769/2019 विजय कुमार द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट

1. माननीय एन.जी.टी. में दायर ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 769/2019 विजय कुमार द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य की समीक्षा दिनांक 16.08.2020 को हमीरपुर वन प्रभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की गयी। उक्त समीक्षा बैठक में मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी एवं वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा भी उपस्थित रहे। बैठक में निर्देश दिये गये कि भेडी खरका के खनन खण्ड संख्या 23/7 मे0 पहलवान ट्रेडर्स के स्वीकृत किये गये खनन खण्ड के जी.पी.एस. तथा वन ब्लाक भेडीदरिया के जी.पी.एस. प्राप्त कर गूगल अर्थ एप्लीकेशन पर डिजीटल मैप बनाये तथा गाटा संख्या एवं रकबे का मिलान कर लें, आधार वर्ष की खतौनियां भी प्राप्त कर लें, ताकि राजस्व अभिलेखों में भिन्नता न हो।
2. दिनांक 16.08.2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रगति समीक्षा दिनांक 24.08.2020 को मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी द्वारा प्रभागीय कार्यालय हमीरपुर में की गयी। उक्त आहूत बैठक में वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा, खान अधिकारी, हमीरपुर, प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं पूर्व डी. जी.सी. (रेवेन्यू) श्री घासीराम प्रजापति एडवोकेट उपस्थित रहे। खनन खण्ड संख्या 23/7 से सम्बन्धित अभिलेख, नक्शे, जी.पी.एस. को-आर्डिनेट्स भी प्रदान करने हेतु खान अधिकारी को निर्देशित किया गया। मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी द्वारा अभिलेखागार से प्रश्नगत ग्राम के पुराने अभिलेखों का मुआयना कर खसरा खतौनी एवं गाटा संख्या, क्षेत्रफल का विवरण प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये।
3. विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में ग्राम का नाम भेड़ी दरिया है, किन्तु खनन विभाग द्वारा खनन खण्ड भेडी खरका ग्राम के नाम से बनाये गये हैं।
4. दिनांक 26.08.2020 को मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर में बैठक कर अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। अभिलेखागार से प्राप्त अभिलेखों एवं खनन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट तथा डिजीटल मैप (वन ब्लाक भेड़ी दरिया) की तैयारी आदि के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया गया।

Scanned by CamScanner

5. दिनांक 02.09.2020 को पुनः उक्त प्रश्नगत प्रकरण में अभिलेख तथा पत्रावली, मानचित्रों (डिजीटल मैप गूगल अर्थ पर) आदि तथा खसरा खतौनी का अवलोकन किया गया। खनन विभाग, हमीरपुर से प्राप्त सूचनाओं का भी अवलोकन किया गया।

6. भेड़ीदरिया ग्राम, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर में खनन विभाग, हमीरपुर द्वारा वर्तमान में संचालित भेड़ी खरका खनन खण्ड संख्या 23/7 मेसर्स पहलवान ट्रेडर्स के जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने पत्र संख्या 421/33–1/दिनांक 28.08.2020 द्वारा उपलब्ध कराने हेतु खान अधिकारी, हमीरपुर से अनुरोध किया गया। खान अधिकारी, हमीरपुर ने अपने पत्रांक 893/खनिज–एम.एम.सी.तीस–एन.जी.टी. (2020–21) दिनांक 01.09.2020 द्वारा संचालित खनन खण्ड 23/7 के मात्र 03 बिन्दुओं के जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स दिये गये हैं, तथा चौथे बिन्दु को जलमग्न बताते हुए जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स देने में असमर्थता प्रकट की।

7. दिनांक 16.08.2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा हमीरपुर निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के कम में धारा–4 में नोटीफिकेशन के आधार पर जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स को सम्मिलित करते हुए डिजीटल मैप तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। तत्कम में इण्टरनेट से वेबसाइट environmentalclearance.nic.in ToR PDF साइट से अपलोड खनन खण्ड संख्या 23/7 ग्राम भेड़ीखरका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर उ0प्र0, लीज क्षेत्रफल 12.145 हे0 का माइनिंग प्लान (File no. UP/HAMI/RBN/16/2435) प्रिंट निकाला गया था, इस खनन खण्ड की सीमा में जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स के अनुसार गूगल अर्थ एप्लीकेशन पर डिजीटल मैप पर उन चार बिन्दुओं को अंकित/दर्शाया गया।

8. खनन विभाग द्वारा दिये गये बिन्दुओं की जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स को मैप पर अंकित कर दर्शाये गये इन 03 स्थलों B, C, D की दूरी वन भूमि की सीमा से लगभग क्रमशः 610.15 मीटर, 625.56 मीटर, 565.24 मीटर पाई गयी। चौथा बिन्दु जो खनन विभाग द्वारा जलमग्न बताया गया है। चूंकि क्षेत्र समान्तया चतुर्भुज आयताकार जैसा बताया गया है, वह भी अन्य 03 बिन्दुओं के समीप ही स्थित होगा। उसकी दूरी भी निश्चित ही लगभग वन सीमा से 500 मीटर होगी। तत्समय खनन खण्डों की एन.ओ.सी. देने हेतु जो प्रपत्र खनन विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर को प्रेषित किये गये थे, उसके साथ संलग्न मानचित्र में खनन खण्ड संख्या 23/7 को चिन्हांकित किया गया था। वह चतुर्भुज आयताकार आकार में था तथा राजस्व विभाग का गाटा संख्या एवं आवेदित क्षेत्र के जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स भी

Scanned by CamScanner

अंकित नहीं किये गये थे। मौके पर तत्समय संलग्न मानचित्र के अनुसार रिपोर्ट/आख्या देकर एन.ओ.सी. निर्गत का पत्र भेजा गया था।

9. environmentalclearance.nic.in से प्राप्त भेड़ी खरका खनन खण्ड 23/7 माइनिंग प्लान में अंकित जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स को डिजीटल मैप पर अंकित करने पर स्पष्ट हुआ कि खनन खण्ड संख्या 23/7 का आंशिक भाग वन सीमा के अन्तर्गत पाया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत, प्रश्नगत स्थलों के निरीक्षण से यह पाया गया कि खान अधिकारी, हमीरपुर के पत्रांकः 893/खनिज–एम.एम.सी.तीस–एन.जी.टी. (2020–21) दिनांक 01.09.2020 में दिये गये जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स से (तीन बिन्दुओं तथा एक जलमग्न) स्पष्ट दर्शित है कि खनन खण्ड संख्या 23/7 के पट्टाधारक मेसर्स पहलवान ट्रेडर्स जिस स्थल पर खनन कार्य किया जा रहा है, वह वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा वह खनन स्थल वन भूमि सीमा की परिधि से 100 मीटर के अन्तर्गत भी नहीं आता।

10. उक्त प्रश्नगत क्षेत्र खनन खण्ड संख्या 23/7, ग्राम भेडीखरका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता विजय कुमार द्विवेदी एडवोकेट द्वारा शिकायत में अंकित बिन्दु *"खण्ड संख्या 23/7, पट्टा धारक मे0 पहलवान ट्रेडर्स द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है"* की पुष्टि नहीं होती है। श्री विजय कुमार द्विवेदी निवासी विवेक नगर हमीरपुर के शिकायती पत्र दिनॉक 10.03.2019 के अनुक्रम मे जिला अधिकारी हमीरपुर महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या 1637/खनिज–एम0एम0सी0–**तीस–विविध** (2018–19) दिनॉक 29.03.2019 के द्वारा उप जिलाधिकारी सरीला, क्षेत्रीय वन अधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर की संयुक्त जॉच टीम गठित कर जॉच करने के निर्देश दिये। उक्त क्रम मे जिला अधिकारी हमीरपुर के पत्र संख्या–1637/खनिज–एम0एम0सी0–तीस–विविध (2018–19) दिनॉक 29.03.2019 के अनुपालन मे खनन विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम गठित द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र की जॉच की गयी। जिसमे खण्ड संख्या 23/7 के पटटा धारक द्वारा दिनॉक 05.04.2019 को जॉच दौरान वन सीमा से 100 मीटर से अधिक दूरी पर खनन करते पाया गया। वन भूमि पर कोई भी अवैध खनन नही पाया गया। उक्त जॉच रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रॉक संख्या 2498/26–1/दिनॉक 12.04.2019 द्वारा वन संरक्षक चित्रकूट धाम वृत्त बांदा को जॉच रिपोर्ट संलग्न कर भेजी गयी है। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झॉसी को भी भेजी गयी है।

11. समय–समय पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा राजस्व विभाग, खनन विभाग एवं वन विभाग की गठित संयुक्त टीम द्वारा भी प्रश्नगत क्षेत्र की जांच कराई गयी है। जांच में वन भूमि में अथवा वन भूमि की सीमा से 100 मीटर के अन्तर्गत कोई खनन कार्य नही पाया गया।

Scanned by CamScanner

12. **खनन खण्ड संख्या 23/7 हेतु निर्गत एन.ओ.सी. का परीक्षण :–**

प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर, खनन विभाग हमीरपुर द्वारा तत्समय आवेदित खनन खण्ड संख्या–23/7, ग्राम–भेड़ी खरका तहसील–सरीला जिला–हमीरपुर के सम्बन्ध में निर्गत एन0ओ0सी0 की पत्रावली तथा अभिलेखों का परीक्षण किया गया। पत्रावली में संलग्न अमोनिया प्रिन्ट मानचित्र को इनलार्ज कर जब वन ब्लाक के डिजिटल मैप पर सुपर इम्पोज किया गया तो तत्समय प्रस्तावित खनन खण्ड संख्या–23/7 की वन भूमि सीमा से दूरी 100 मीटर के बाहर दर्शित हो रही है। तत्समय खनन स्थल का आवेदित मानचित्र के आधार पर दी गयी आख्या का अवलोकन वर्तमान समय की उच्च तकनीक के आधार डिजिटल मैप एवं जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स को दर्शाते हुये किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ है कि:–

(i) environmentalclearance.nic.in से प्राप्त माइनिंग प्लान में खनन खण्ड संख्या 23/7 में दर्शित कोई भी खनन कार्य जियो को–आर्डिनेंट्स के अनुसार माइनिंग प्लान में अनुमोदित स्थल पर नहीं हुआ है तथा वन सीमा की 100 मीटर परिधि में भी कोई खनन नही हुआ है।

(ii) खान अधिकारी, हमीरपुर के पत्रांक 893/खनिज–एम.एम.सी.–तीस–एन.जी.टी. (2020–21) दिनांक 01.09.2020 में दिये गये जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स (तीन बिन्दुओं एवं एक जलमग्न) के अन्तर्गत जिस स्थल पर वास्तव में खनन हुआ है, वह क्षेत्र वन क्षेत्र से बाहर है तथा वन भूमि की सीमा से 100 मीटर की परिधि के भी बाहर है।

अतः खनन विभाग, हमीरपुर द्वारा वर्ष 2016 में अनापत्ति हेतु वन प्रभाग को प्रस्तुत अमोनिया मानचित्र तथा उक्त वर्णित खनन प्लान (File no. UP/HAMI/RBN/16/2435) में अंकित खनन खण्ड संख्या 23/7 की सीमा के जियो को–आर्डिनेट्स के अनुसार यह खनन खण्ड भेडी दरिया वन ब्लाक की वन भूमि में वन विभाग द्वारा (प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर का पत्रांक 526/33–1/दिनांक 21.08.2017) त्रुटिवश अनापत्ति जारी की गयी है, जो निरस्त करने योग्य है।

खान अधिकारी, हमीरपुर के पत्रांक 893/खनिज–एम.एम.सी.–तीस–एन.जी.टी. (2020–21) दिनांक 01.09.2020 द्वारा उपलब्ध विवरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक खनन स्थल खनन विभाग द्वारा वर्ष 2016 में वन विभाग से अनापत्ति हेतु आवेदित खनन स्थल/माइनिंग प्लान (File no. UP/HAMI/RBN/16/2435) में अनुमोदित खनन स्थल से भिन्न है। वन भूमि में कोई खनन नहीं हुआ है।

दिनाँक 02.09.2020.

2/9/2020

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

Divisional Forest Officer
Hamirpur (U. P.)

Scanned by CamScanner

Annexure No. A-15

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी सरीला

पत्रांक – 16 /39–1/सरीला/दिनांक– सितम्बर 12, 2020।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर।

विषयः– **भेड़ी दरिया का निरीक्षण।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 12.09.2020 को अधोहस्ताक्षरी एवं जलालपुर सेक्शन प्रभारी श्री ऋषभ मिश्रा, वन दरोगा द्वारा भेड़ी दरिया क्षेत्र का निरीक्षण/गस्त किया गया, निरीक्षण दौरान किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं पाया गया।

भवदीय

ह॰ 12.9.20
(सुनील भारद्वाज)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरीला।

(ऋषभ मिश्रा)
वन दरोगा
12/09/2020

Scanned by CamScanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी सरीला

पत्रांक - 28 /39-1/सरीला/दिनांक- सितम्बर 28,2020।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर।

विषयः— **'भेड़ी दरिया का निरीक्षण।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 28.09.2020 को अधोहस्ताक्षरी एवं जलालपुर सेक्शन प्रभारी श्री ऋषभ मिश्रा, वन दरोगा एवं क्षेत्रीय वनकर्मी द्वारा भेड़ी दरिया क्षेत्र का निरीक्षण/गस्त किया गया, निरीक्षण दौरान किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं पाया गया।

भवदीय

(ऋषभ मिश्रा)
व० द० 28/9/2020

ह० 28/09/20
(सुनील भारद्वाज)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरीला।

Scanned by CamScanner

Annexure No- A-16

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 1400 /खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2020–21) दिनांक– 05-11-2020

कार्यालय ज्ञाप

जनपद हमीरपुर के तहसील सरीला अन्तर्गत ग्राम मेड़ी खरका खण्ड संख्या–23/7 क्षेत्रफल–12.145 हे0 का खनन पट्टा दिनांक–08.12.2018 से दिनांक–07.12.2023 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–769/2019 विजय कुमार द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक–12.10.2020 को प्रधान, मुख्य वन संरक्षक/विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार ग्राम मेड़ी खरका खण्ड संख्या–23/7 एवं 23/8 का क्षेत्र वन भूमि के ऊपर तथा वन सीमा से 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत ओवरलैप हो रहा है। उक्त के क्रम में खनन विभाग को निर्देशित किया गया कि वह वर्ष–2017 में खण्ड संख्या–23/7, जिसकी एन0ओ0सी0 तत्समय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर द्वारा निर्गत की गयी थी, का वह क्षेत्र जो निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर के अन्तर्गत आता है, के जी0पी0एस0 कोआडिनेट्स अंकित करते हुये खनन कार्य प्रतिबन्धित कर समस्त सम्बन्धित को संसूचित किया जायेगा। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार मेड़ी दरिया वन ब्लाक की वन सीमा के 100 मीटर की दूरी को दर्शाते हुये के0एम0एफ0 फाइल तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर, खनन विभाग को 02 दिन में उपलब्ध करायेगें। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग हमीरपुर के पत्र संख्या–815/33–1 दिनांक–22.10.2020 एवं पत्र संख्या–900/33–1 दिनांक–04.11.2020 के द्वारा मेड़ी दरिया वन ब्लाक की वन भूमि की सीमा से 100 मीटर की दूरी इंगित करते हुये मानचित्र एवं GIS Shop file उपलब्ध कराया गया है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये के0एम0एल फाइल के आधार पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से वन भूमि से 100 मीटर की दूरी छोड़ने के उपरान्त खण्ड संख्या–23/7 में आने वाले बिन्दुओं के कोआडिनेट्स निकलवाये गये। प्राप्त मानचित्र के अनुसार ग्राम मेड़ी खरका में स्वीकृत खण्ड संख्या–23/7 के बिन्दु–डी से बिन्दु–सी की ओर 140 मीटर तथा बिन्दु–ए से बिन्दु–बी की ओर 94 मीटर का क्षेत्र वन भूमि से 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आता है, जिसे संलग्न मानचित्र पर पीले रंग से ADD'A' के रुप में दर्शाया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक–12.10.2020 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन भूमि से 100 मीटर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में खनन कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त प्रतिबन्ध के फलस्वरुप खनन पट्टे के क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ।
2–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3–प्रमुख मुख्य वन संरक्षक/विभागाध्यक्ष वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4–प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

5.11.2020
जिलाधिकारी,

Scanned by CamScanner